न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

...न अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

...कदमा संख्या: 15/2025

जी.सी.एम.एस. न0: 2025/70 दर्ज दिनांक: 19.02.2025

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र आर्य जाति जाट निवासी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः– 19.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदयपुरवाटी स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 रकबा 0.16 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा की उपरोक्त भूमि का सर्वेसीट सन 1953 सम्वत् 2010 सही एवं दुरूस्त बनी हुई थी परन्तु द्वितिय भू प्रबन्धक कार्यवाही सन 1979–80 में बनी सर्वेसीट गलत दर्ज हो गई जिसमें प्रार्थी की भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 का नक्शा गलत अंकित हो गया। उक्त भूमि विवादित भूमि है जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 1974 की भूमि रकबा 0.16 हैक्टर बाबत् कोई विवाद नहीं है मौके पर प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.16 हैक्टर पर काबिज है परन्तु वर्तमान नक्शा शीट गलत अंकित है तथा मौके की स्थिति के विपरीत है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। गलत नक्शाशीट के कभी भी विवाद उत्पन्न हो सकता है मौके पर उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा रेखाएं कम अंकित होने से नक्शे में भूमि कम अंकित हो गई जबकि जमाबन्दी में पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा की वर्तमान जमाबन्दी ख.नं. 1974 में रकबा 0.16 हैक्टर सही दर्ज है। इस कारण से नक्शा शीट को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 रकबा 0.16 हैक्टर का वर्तमान नक्शा सर्वेशीट पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा अनुसार एवं मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ./2025/827 दिनांक 07.04.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित व न्यायोचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम उदयपुरवाटी स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 रकबा 0.16 हैक्टर जिसके पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा की उपरोक्त भूमि का सर्वेसीट सन 1953 सम्वत् 2010 सही एवं दुरूस्त बनी हुई थी परन्तु द्वितिय भू प्रबन्धक कार्यवाही सन 1979–80 में बनी सर्वेसीट गलत दर्ज हो गई जिसमें प्रार्थी की भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 का नक्शा गलत अंकित हो गया। उक्त भूमि विवादित भूमि है जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 1974 की भूमि रकबा 0.16 हैक्टर बाबत् कोई विवाद नहीं

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

र प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.16 हैक्टर पर काबिज है परन्तु वर्तमान नक्शा शीट गलत अंकित मौके की स्थिति के विपरीत है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। गलत नक्शाशीट के कभी विवाद उत्पन्न हो सकता है मौके पर उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा रेखाएं कम अंकित होने से नक्शे में भूमि कम अंकित हो गई जबकि जमाबन्दी में पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा की वर्तमान जमाबन्दी ख.नं. 1974 में रकबा 0.16 हैक्टर सही दर्ज है। इस कारण से नक्शा शीट को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 रकबा 0.16 हैक्टर का वर्तमान नक्शा सर्वेशीट पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा अनुसार एवं मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त फरमाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उदयपुरवाटी तह. उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि वर्तमान ख.नं. 1974 रकबा 0.16 हैक्टर का वर्तमान नक्शा सर्वेशीट पुराने ख.नं. 966 तादादी 13 बिश्वा अनुसार एवं मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त फरमाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट कमांक भू.अ./2025/827 दिनांक 07.04.2025 उक्त निर्णय का भाग रहेगी। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner